न्यायालय :— अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, गया
एन.डी.पी.एस. केस सं0 02/19
राज्य बनाम् श्रवण सिंह

18.9.2019 प्रस्तुत जमानत आवेदन अभिरक्षा अभियुक्त श्रवण सिंह पे0 गरजू सिंह जो दिनांक 5.3.19 से अभिरक्षा में है, के ओर से वकालतनामा के साथ बाराचट्टी थाना कांड सं0 27/19 अभियोग अंतर्गत धारा 8/15/18/20(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट के संबंध में दाखिल किया गया है। आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। आवेदन को परिचालित किया गया। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि सूचक को मिले गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी लेने पर उसके द्वारा 5 कट्ठा खेत में किये जा रहे अफीम(पोस्ता) की खेती होना पाया गया,जिसे आये पुलिस बल के सहयोग से दण्डाधिकारी के समक्ष विनष्ट किया गया।

प्रतिरक्षा के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन को परिचालित करते हुए अपने तर्कों में कहे कि प्राथमिकी से ही स्पष्ट है कि अभियुक्त न तो घटनास्थल से पकड़ा गया है और न ही उसके कब्जे से कुछ भी बरामद हुआ है। जिस खेत में अफीम का फसल नष्ट किया गया है, उसका खाता प्लॉट नहीं दिया गया है और न ही अभियुक्त कभी अपने खेत में गांजा अफीम की खेती करता है। अभियुक्त को इस तरह के धंधे से कोई सरोकार नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं बिना किसी दोष के दिनांक 5.3.19 से जेल में है अतः उसे जमानत की सुविधा दिया जाए।

प्रतिरक्षा के उपरोक्त तर्कों का विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त अपने खेत में गांजा अफीम का खेती करता है अतः अभियुक्त के जमानत आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुनने के बाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्त इस कांड में धारा 8/15/18/20(ए) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त पर अपने खेत में अवैध रूप से अफीम का फसल उगाये जाने का आरोप लगाया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत अभियुक्त के विरूद्ध

घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र सं0 77/19 दिनांक 26.5.19 दाखिल किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों,अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत की सुविधा देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, तदनुसार अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

ह0/—

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, गया